

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट टिब्बी)

मेजरसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी तारासिंहवाली ढाणी तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम

1. प्रीतमकौर पत्नी अजायबसिंह
2. महेन्द्रसिंह
3. जगीन्द्रसिंह
4. मखनसिंह
5. सलखनसिंह
6. लखा सिंह

पि० अजायबसिंह

जाति जटसिख निवासी तारासिंहवाली ढाणी
तहसील टिब्बी ।

7. अमनिन्द्रसिंह पुत्र बलतेजसिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी।
8. परमजीतकौर पत्नी भजनसिंह पुत्री अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी सिरसा तह
सिरसा।
9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

-प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-302 / 2018
अन्तर्गत धारा:-53,88 आरटीए
निर्णय दिनांक:-27.6.2018




वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

- (क)-वादी मेजरसिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं० 21 एनजीसी के प०न० 190/271 मु० 38 किला नं० 4,7, प०न० 189/270 मु० 36 किला नं० 22/.126
- (ख)-प्रतिवादी सं० 3 जगीन्द्रसिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं० 17 जीजीआर के प०न० 189/272 मु० 10 किला नं० 15, प०न० 190/272 मु० 11 किला नं० 10,11
- (ग)-प्रतिवादी सं० 4 मखनसिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं० 17 जीजीआर के प०न० 189/272 मु० 10 किला नं० 5, प०न० 189/272 मु० 11 किला नं० 2,9
- (घ)-प्रतिवादी सं० 5 सलखनसिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं० 21 एनजीसी के प०न० 190/271 मु० 38 किला नं० 8,9, चक नं० 17 जीजीआर के प०न० 189/272 मु० 10 किला नं० 6,
- (ङ)-प्रतिवादी सं० 6 लखासिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं० 21 एनजीसी के प०न० 190/270 मु० 35 किला नं० 22, प०न० 190/271 मु० 38 किला नं० 2,3.
- (च)- प्रतिवादी संख्या 7 अमनिन्द्रसिंह को प्राप्त आराजी:- चक नं० 21 एनजीसी के प०न० 189/270 मु० 36 किला नं० 12,19 22/.127.

उपर्युक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 21 एनजीसी के खाता सं० 48/46 में से प्रीतमकौर,जोगेन्द्रसिंह,मखनसिंह का नाम चक नं० 17 जीजीआर के खाता सं० 117/119 में से मेजरसिंह,जगीन्द्रसिंह, सलखनसिंह, लखासिंह, अमनिन्द्रसिंह व इसी चक 17 जीजीआर के खाता सं० 77/77 में से प्रीतमकौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अनुसार

राजस्व रिकार्ड में पक्षकारों के नाम से अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 27.6.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत टिब्बी में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक क्लर्क, टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1100/-	जोड़	0

